

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- प.149/मुसप्र/नवीन पंजी. योजना/2012/ 111

दिनांक:- 15-5-12

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के अन्तर्गत मण्डल द्वारा प्रथम चरण में दिनांक 14.04.2012 से 14.05.2012 तक एवं द्वितीय चरण में दिनांक 19.04.2012 से 18.05.2012 तक विभिन्न शहरों में नवीन पंजीकरण योजनाएं प्रारम्भ की गई थी।

उक्त योजनाओं में आमजन के रुझान को दृष्टिगत रखते हुए पंजीकरण आवेदन पत्र विक्रय/प्राप्त करने की अन्तिम तिथि दिनांक 31.05.2012 तक बढ़ाई जाती है।

उक्त आदेश को अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष, / आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता / सचिव / वित्तीय सलाहकार / निदेशक विधि, रा0 आ0 म0, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता- ~~रा0आ0म0~~, रा0आ0म0, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-पी.एण्ड एम., राज0आवासन मण्डल, जयपुर।
5. वरिष्ठ निजी सहायक-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0, जयपुर।
6. जन सम्पर्क अधिकारी, रा0आ0म0, जयपुर को प्रेस नोट जारी कराने हेतु।
7. उप आवासन आयुक्त-वृत- ~~रा0आ0म0~~
8. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर डलवायें व सभी संबन्धित को मेल करें।
9. रक्षित पत्रावली।

मुख्य अभियन्ता